

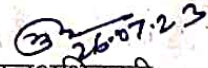
(52)
①
आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हरस्तक, 1941 का नियम 121)

आदेश पत्रक ता०.....से.....तक।

जिला-जामताड़ा, वाद संख्या-06 सन् 2023

केस का प्रकार-अतिक्रमण वाद अभिलेख के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26.07.2023	यह अतिक्रमणवाद राजस्व ग्राम प्रधान मौजा-जरीडीह के द्वारा प्राप्त आवेदन तथा राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०-02/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, करमाटाँड़ (विद्यासागर) के द्वारा स्थलीय जाँच के क्रम में दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरंभ की गई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०-02, श्री लिलटो हेम्रम एवं अंचल अमीन ने अंचल निरीक्षक, करमाटाँड़(विद्यासागर) के माध्यम से अतिक्रमण प्रतिवेदन दिया है कि स्थानीय जाँच एवं मापी के क्रम में पाया कि करमाटाँड़(विद्यासागर) अंचल अंतर्गत मौजा-जरीडीह, थाना सं०-38 अनाबादी खाता सं०-09 दाग सं०-425 भूमि किस्म-बाड़ी कहकर गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त दाग सं०-425 पर पैरू राय पिता-शुकर राय साकिन-जरीडीह के द्वारा 0.12 एकड़ भूमि पर कच्चा मकान एवं कच्चा दीवार से घेराबंदी कर अतिक्रमण किया गया है। अंचल अमीन ने मापी प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित कर उक्त अतिक्रमण की पुष्टि की है। वादी श्री पैरू राय ने उपस्थित होकर लिखित में पक्ष रखा है कि उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु 15(पन्द्रह) दिनों का समय दिया जाए। अभिलेख दिनांक-10.08.2023 को रखें।	
10.08.2023	 अंचल अधिकारी करमाटाँड़(विद्यासागर), जामताड़ा। प्रशासनिक व्यस्तता के कारण वाद पर अग्रेज का (वास) नवी की जा रही। अभिलेख दिनांक 25.08.23 को रखें।	 अंचल अधिकारी जामताड़ा।

05.04.2025 अगिलेख उपस्थापित।

वादी पैरु शाय की पत्नी मंजू देवी उपस्थित होकर उनके द्वारा उठाया गया छे अतिक्रमण भूमि मौजा - जलीसीह, बाना नं०-38, बाना नं०-09, दाग नं०-425 भूमि किलम वादी, रकबा - 0.12 एकड़ भूमि का अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमण भूमि का वादा उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है, सत्यता की जाँच करावे।

अगिलेख दिनांक - 05.11.2025 की है।

05/11/25
अंचल अधिकारी
कलकत्ता (विभा)

28.04.2025 अगिलेख उपस्थापित।

उक्त अतिक्रमण भूमि का वादा उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच किया गया। जाँचोपरांत पाया कि वादी पैरु शाय, पिता - स्व० सुकल शाय मौजा - जलीसीह, बाना नं०-38, बाना नं०-09, दाग नं०-425 भूमि किलम - वादी, रकबा - 0.12 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण की अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।

अतः अतिक्रमण भूमि का वाद की अग्रिम कार्रवाई सजाफ की जाती है।

28/04/25
अंचल अधिकारी
कलकत्ता (विभा)

સ્વેચ્છા મેં:

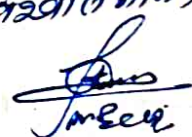
અંચલઅધિકારી
કરમચંદ (વિજાપુર)

25/04/04 વિષય:- અતિક્રમણ ગુસ્સા ગેરે લેવામાં ને.

મહારાજ,

અપરજન વિષય ને સંબંધ-માં સારા સરકાર ગુસ્સા
દે ત્રિ- પેલે રાજ પિત્રા - ૧૦૦ ગુસ્સા રાજ ગામ - બીડીદ
ગુસ્સા મોજા. બીડીદ ગામ - ૧૦૦ - ૩૪ ~~અપરજન~~ ગામ ૧૦.
૦૯, દામ સહે - ૫૨૫ મુકિ કિલો. બીડીદ રજા - ૦.૧૨ (૧૦૦)
મુકિ બે કિલો ગામ અતિક્રમણ ને અતિક્રમણ
બે દિના ગામ દે

અતિક્રમણ સારા સરકાર

વિજાપુર

J. K. K.